

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 1984/ज्येष्ठ 1, 1906
No. 249] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 1984/JYAISTHA 1, 1906

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके**

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation**

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1984

अधिसूचना

का० आ० 399(अ) :—उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक उप-
क्रम रजिस्ट्रिकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के उपनियम (2) के साथ पठित
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 14 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 163 (अ) आर० एल० आई० यू०/10 (2) 76, तारीख 3 मार्च, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, विशेष अनुमोदन समिति (एल० आर० आई०) शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रक्रियाओं के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(15 क) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक या उसका नामनिर्देशित”।

टिप्पण:—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र 1976 (असाधारण) भाग 2—खंड 3, उपखंड (ii) के पृष्ठ 501 से 511 पर अधिसूचना सं० का० आ० 163 (अ)/आर० एल० आई० यू० 10 (2) 76 तारीख 3-3-1976

उसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए:—

- (1) अधिसूचना सं० का० आ० 765 (अ) तारीख 29-11-1979.
- (2) अधिसूचना सं० का० आ० 25 (अ) तारीख 13-1-1981
- (3) अधिसूचना सं० का० आ० 656 (अ) तारीख 18-8-1981
- (4) अधिसूचना सं० का० आ० 159 (अ) तारीख 4-3-1983
- (5) अधिसूचना सं० का० आ० 854 (अ) तारीख 24-11-1983

[फा० सं० 18/1/82-एल०पी०]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi the 22nd May, 1984

NOTIFICATION

S.O. 399 (E) :— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, the Ministry of Industry, Department of Industrial Development, hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the former Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial

Development) No. S.O. 163(E)/RLIU/10(2)/76, dated the 3rd March, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading Special Approval Committee (NRI), after serial number 15 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely :—

“(15A) The Governor, Reserve Bank of India or his nominee”.

Note : Principal notification published vide notification S.O. 163 (E)/RLIU/10 (2)/76 dated 3-3-1976. Gazette of India 1976 (Extraordinary) Part II—Section 3 – Sub-section (ii) pages 501 to 511.

Subsequently amended by :—

- (1) Notification No. S.O. 765 (E) dt. 29-11-1979;
- (2) Notification No. S.O. 25 (E) dt. 13-1-1981;
- (3) Notification No. S.O. 656 (E) dt. 18-8-1981;
- (4) Notification No. S.O. 159 (E) dt. 4-3-1983;
- (5) Notification No. S.O. 854 (E) dt. 24-11-1983.

[F. No. 18/1/82-LP]
S.L. KAPUR, Jt. Secy.

